न्यायालय सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

फरादीश उर्फ फरादी का प्रार्थना ..... बनाम ..... अन्य व अन्य

किस्म मुकदमा ..... धारा 212 का मिश्र ..... मु.नं. ..... 111 ..... वर्ष 2024

दिनांक	आज्ञा पत्र	
20/11/25	पत्रावली पेश हुई। कवीत प्रार्थी एवं प्रार्थी पक्ष को बार-बार आवाज दिलवाई गई लेकिन न्यायालय समक्ष तक हाजिर नहीं आये। इस बात अब पेरवी व अब दायर करने में रुचि नहीं रखता है। ऐसी स्थिति में इस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 का मिश्र प्रार्थी को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 का मिश्र प्रार्थी अब पेरवी व अब दायर करने में रुचि नहीं रखता है। पत्रावली फाईल शुमार होकर कार्यवाही आवश्यक अमल हो। निर्णय आज दिनांक 20/11/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।	

सहायक कलक्टर (मु.) सीकर